

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
59/021	53, 183, 188 RTA	मानपुरा	2, 037

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
हंसराज	बनाम	धारशीलाल

3021/109

ल:- रामकर शर्मा

आदेश पत्रक

वकील :-

विविध संदर्भ

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

30/7/21

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये समान तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25/8/21 को पेश हो।

म
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज.)

25/8/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद वाली समान प्रारत। प्रतिवादी गणों की ओर से श्री हरिकेश शर्मा एडवो. द्वारा अपडेटेड पेश की गई है। पत्रावली समान प्रारत है। वाद वाली वकालत गण पत्रावली दिनांक 6/10/21 को पेश हो।

प्रतिवादी की
7 वकील
उपस्थित

12/11/21

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
शिविर..... भूलीत..... पर पत्रावली पेश हुई। प्रशासन उपस्थित/अनुपस्थित।
कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली न्यायालय में दिनांक.. 5/01/22 को पेश हो।

8/2/22

पत्रावली कोपि- 19 के कारण पूर्ववत स्थिति में अप पेश हुई। कुलम परीकेन उपस्थित। पत्रावली नहीं हुआ समान प्रारत है। वाद वाली वकालत गण पत्रावली दिनांक 9/3/22 को पेश हो।

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
9.12.24	<p>पञ्जावली पेशा डर। वकील वादी एवं (व्यप वादी) गण उपस्थित नहीं है। न्यायालय ने सुन-सुन कर तीन बार आवाज लगावाई गई। न्यायालय कार्यवाही स्थगित होने तक इंतजार किया गया। कोई उपयुक्त नहीं हुए। प्रकरण ऊठक हाजरी ऊठक परनी के खारिज किया जाता है। पञ्जावली फैसला 25 नगर होकर डारिकल सुनर हो</p>

शु